



ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नरेन्द्र सिंह

Narendra Singh

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिसर विकास, परिवहन, भण्डार एवं क्रय)
Officer on Special Duty (Campus Development,
Transport, Stores & Purchase)

दूरभाष / Phone : +91-7152-246863

फैक्स / Fax : +91-7152-232669

पत्रांक : 008/2011/TFW/51/306

दिनांक : 30.08.2012.

प्रति,

जनसंपर्क अधिकारी,

म.गा.अं.हि.वि.वि.

वर्धा.

विषय:- नोटिस प्रकाशित किये जाने के संदर्भ में।

महोदय,

विश्वविद्यालय में फिज की पूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित किये जाने के संबंध में नोटिस प्रकाशित की जानी है। जिस हेतु संलग्न नोटिस नागपुर, वर्धा व यवतमाल से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में नियमानुसार अविलम्ब प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। साथ ही नोटिस प्रकाशित होने के उपरान्त कृपया उसकी एक-एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

भवदीय,


(नरेन्द्र सिंह)

संलग्न :- नोटिस ।

प्रतिलिपि -

01 कुलपति महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

✓ प्रभारी लीला को उक्त नोटिस को विश्वविद्यालय के वितान स्थली (वेब साईट) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03 डाक विभाग सूचनार्थ।

03 संबंधित फाईल



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट मानस मंदिर, गांधी हिल्स, वर्धा - 442005 (महाराष्ट्र), भारत

Fridge क्रय हेतु सूचना

विश्वविद्यालय में निम्नानुसार Fridge की आवश्यकता है।

Sr. No.	Description
01	Fridge (Godrej, Samsung, Videocon, Whirlpool, Electrolux, L.G.) Capacity:- 80/90/110 Ltr. 3 Star, Steel Body with Stand

उपरोक्त संदर्भ में निविदा सूचना की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर भी उपलब्ध है। निविदा विशेष कर्तव्य अधिकारी, भण्डार एवं क्रय के नाम उपरोक्त पते पर दिनांक 15.10.2012 तक प्रेषित करेंगे।

शर्त :-

1. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. कोटेशन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय अपने पास सुरक्षित रखता है।
3. सीलबंद लिफाफे के ऊपर 'टी.वी.' हेतु कोटेशन तथा निविदा के ऊपर वैट क्रमांक अवश्य लिखें।
4. कोटेशन की वैधता तीन माह तक रहेगी व कोटेशन विश्वविद्यालय के डाक विभाग में ही लिया जाएगा।
5. लिफाफा सीलबंद होना अनिवार्य होगा व लिफाफा स्टेपल किया हुआ न हो।

कुलसचिव